

UPSC PORTAL

<http://www.upscportal.com>

IAS | PCS | SCRA | NDA | CDS | Bank PO  
एवं अन्य आफिसर्स ग्रेड के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी

भारत



अध्यायवार  
संकलन

संक्षिप्त

## अध्याय 1

# भारत भूमि और उसके निवासी

- ❖ पृथ्वी की सतह पर स्थित भू-भाग को जल से घेरकर बने हुए भू-भाग को भूमि कहते हैं।
- ❖ यह भू-भाग पृथ्वी की सतह पर स्थित है। इसकी सीमा लगभग 15,200 कि.मी. है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सहित देश के समुद्र-तट की कुल लंबाई 7,516.6 कि.मी. है।
- ❖ चंबी घाटी से होते हुए मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर जेलप-ला और नाथू-ला दर्रे, उत्तर-पूर्व दार्जिलिंग तथा कल्पा (किन्नोर) के उत्तर-पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी-ला दर्रा।
- ❖ दक्षिणी प्रायद्वीप के मुख्य भाग हैं - **अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता**। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट है, जहां औसत ऊँचाई 610 मीटर के करीब है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, जहां यह ऊँचाई साधारणतया 915 से 1,220 मीटर है।
- ❖ पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच समुद्री तट की एक संकरी पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच चौड़ा तटीय क्षेत्र है।
- ❖ पठार का यह दक्षिणी भाग **नीलगिरि** की पहाड़ियों से बना है, जहां **पूर्वी और पश्चिमी घाट** मिलते हैं। इसके पार फैली कार्दामम पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है।
- ❖ पृथ्वी की सतह पर स्थित भू-भाग को जल से घेरकर बने हुए भू-भाग को भूमि कहते हैं।
- ❖ यह भू-भाग पृथ्वी की सतह पर स्थित है। इसकी सीमा लगभग 15,200 कि.मी. है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सहित देश के समुद्र-तट की कुल लंबाई 7,516.6 कि.मी. है।
- ❖ चंबी घाटी से होते हुए मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर जेलप-ला और नाथू-ला दर्रे, उत्तर-पूर्व दार्जिलिंग तथा कल्पा (किन्नोर) के उत्तर-पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी-ला दर्रा।
- ❖ दक्षिणी प्रायद्वीप के मुख्य भाग हैं - **अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता**। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट है, जहां औसत ऊँचाई 610 मीटर के करीब है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, जहां यह ऊँचाई साधारणतया 915 से 1,220 मीटर है।
- ❖ पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच समुद्री तट की एक संकरी पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच चौड़ा तटीय क्षेत्र है।
- ❖ पठार का यह दक्षिणी भाग **नीलगिरि** की पहाड़ियों से बना है, जहां **पूर्वी और पश्चिमी घाट** मिलते हैं। इसके पार फैली कार्दामम पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है।



की खेती होती है। अंडमान क्षेत्र में सदाबहार, अर्द्ध-सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्रतटीय और अप्लावी जंगलों की अधिकता है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के पर्वतीय श्रेणियों में ऐसे देशी पेड़ पौधों की अधिकता है, जो दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं मिलते।

**पेड़-पौधे**

- ❖ वन संपदा की दृष्टि से भारत का विश्व में **दसवां** और एशिया में **चौथा** स्थान है। लगभग **70** प्रतिशत भू-भाग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था** ने पेड़-पौधों की 47 हजार प्रजातियों का पता लगाया है। वाहिनी वनस्पति के अंतर्गत 15 हजार प्रजातियां हैं। इसमें से 35 प्रतिशत के लगभग प्रजातियां देशी हैं, जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जातीं। देश के पेड़-पौधों का विस्तृत अध्ययन **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था** और देश के विभिन्न भागों में स्थित उसके 9 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों द्वारा किया जा रहा है।
- ❖ **दःश्व** तः ठक थङ्क श ङ्कङ्क-क थरु रुडठठ रु ङ्क थङ्क-एश रुफुतः ङ्क थ्रक न रुभ . फु ध्धुधु, शःक्य ङ्क-थ रुक एब ङ्क ङ्क . षड/त- ठगु रुफु -थ रु-ए- रु तः थ्रि रुड-ङ्कः ठक त थङ्क :ङ्कइ त ङ्कङ्क-ङ्क त ङ्कङ्कशङ्क ङ्क त ङ्क ङ्क-ए रु। ङ्कःःः ङ्क'त-कङ्क'त ङ्कङ्क-एङ्क तठ त्र । रु रु ङ्कश रुफुत थङ्क रु ए, न य-थःःःःःः, . ङ्कठ रु- ठगुङ्क. ङ-थ जी ङ्क रु-ए'त दतु रु रु ङ्कःःः-ए थ थङ्क रुड. तःश्व थु त ङ्क/थ। ङ्क रु-ए थ शः ठ रुय थङ्कश्वक ङ। ङ्कत ङ्क ङ्कःःःःःः रु त- दःरुय' : ठरु रु । त-ए थ थङ्क तः श्र रुक । ती थ थ त ङ्क ङ्क रु। ङ्क-ठ ङ। ' रु

- ❖ वनस्पति नृजाति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की 800 प्रजातियों की पहचान की गई और देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से उन्हें इकट्ठा किया गया है।
- ❖ पौधों की लगभग 1336 प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है तथा लगभग 20 प्रजातियां पिछले 60 से 100 वर्षों के दौरान दिखाई नहीं पड़ी है। ये प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण **रेड डाटा बुक** नाम से लुप्त प्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है।
- ❖ **जीव-जन्तु: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग**, जिसका मुख्यालय **कोलकाता** में है, विभिन्न हिस्सों में अपने 16 क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए भारत में जीव-जंतुओं की विभिन्न जातियों के सर्वेक्षण का कार्य करता है।
- ❖ **पठ-यन्त्र ङ्कङ्कः रु त- रु-ङ्कत तपाड तः ' रु-ए ङ्कत ङ्क रु91307 ङ्क ङ्कः श्र तः त-ए ङ्क-फ रुडठ तत रु रु**
- ❖ घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। पूर्वी तट और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। सन् **1974** में शुरू की गई **मगरमच्छ पालन योजना** के जरिए मगरमच्छों की नस्ल को लुप्त होने से बचाया जा रहा है।

**जनसंख्या पृष्ठभूमि**

- ❖ **ङ्क तः तः 2011, ङ्क तः 1872-ए ङ्क कः 15- ' ङ्क तः रु**
- ❖ **ठ तः श्रुत ङ्क ङ्क - ङ्कःःःः त ङ्क - ङ्क तः तः ङ्क ङ्कःःःः ङ्क 2010 मरु तः ङ्कःःःः तः कः बः-थ ङ्क 28 बः-थ 2011 मरु**

- ❖ वर्ष 2011 का जनसंख्या 121.02 करोड़, पुरुष 62.37 करोड़ तथा महिलाएं-58.65 करोड़।
- ❖ **जनसंख्या घनत्व (2001-2011):** 2001 में घनत्व-325, 2011 में घनत्व- 382, यानी 17.5 प्रतिशत का अंतर (घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किमी में व्यक्तियों की संख्या है)।
- ❖ **जनसंख्या 2011 का लिंग संयोजन:** जनगणना 2001 से अब तक (2011) राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 7 पॉइंट बढ़कर 940 हो गया है। 1971 को जनगणना से अब तक यह सर्वाधिक अधिक रिकार्ड किया गया है और 1961 से हल्का-सा-नीचे।
- ❖ केरल में सबसे कम 9.43 और नागालैंड में सबसे अधिक 64.52 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई।
- ❖ स्त्री-पुरुष अनुपात को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है।

**स्त्री-पुरुष अनुपात: 1901-2001**

जनगणना वर्ष	स्त्री-पुरुष अनुपात ( 1000 पुरुषों पर महिलाएं )
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933

इसमें एक निश्चित समय पर समाज में स्त्री-पुरुषों के बीच संख्यात्मक समानता का आकलन किया जाता है। देश में स्त्री-पुरुष अनुपात हमेशा स्त्रियों के प्रतिकूल रहा है। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में यह अनुपात 972 था और उसके बाद 1941 तक इसमें निरंतर कमी का रुख रहा।

**साक्षरता**

- ❖ जनगणना 2011 की कुल अनंतिम आबादी के मुताबिक, साक्षरता प्रतिशत कुल आबादी का 74 प्रतिशत और निरक्षरता का प्रतिशत 26 है।
- ❖ साक्षरता दर 2001 में 64.83 प्रतिशत थी जो 2011 बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है। यानी 9.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
- ❖ यह जानना उत्साहजनक है कि कुल 217,700,941 साक्षरों की संख्या पिछले दशक के दौरान बढ़ी है। इनमें 110,069,001 महिलाएं तथा 107,631,940 पुरुष हैं अर्थात् महिलाओं की संख्या से ज्यादा है।
- ❖ साक्षरता की दृष्टि से केरल सबसे ऊपर है जहां साक्षरता दर 90.86 प्रतिशत है। उसके बाद मिजोरम में 88.8 प्रतिशत और लक्षद्वीप 88.66 प्रतिशत से दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
- ❖ बिहार में साक्षरता दर सबसे कम 47 प्रतिशत है। झारखंड में उससे अधिक 53.56 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में 55.52 प्रतिशत है।
- ❖ केरल में पुरुष और स्त्रियों की अलग-अलग साक्षरता भी सबसे अधिक है। यहाँ के 94.24 प्रतिशत पुरुष और 87.72 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।
- ❖ इसके विपरीत सबसे कम साक्षरता दर राज्य बिहार में 59.68 प्रतिशत पुरुष और 33.12 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है।

- ❖ एक मार्च, 2001 को भारत की जनसंख्या एक अरब 2 करोड़ 80 लाख (532.1 करोड़ पुरुष और 496.4 करोड़ स्त्रियाँ) थी। भारत के पास 1357.90 लाख वर्ग कि.मी. भू-भाग है जो विश्व के कुल भू-भाग का मात्र 2.4 प्रतिशत है फिर भी विश्व की 16.7 प्रतिशत आबादी का भार उसे वहन करना पड़ रहा है।
- ❖ बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की आबादी करीब 23 करोड़ 84 लाख थी जो बढ़कर इक्कीसवीं शताब्दी में 1 अरब 2 करोड़ 80 लाख तक पहुँच गई।
- ❖ 1991-2001 की जनगणना अवधि के दौरान **केरल** में सबसे कम 43 और **नगालैंड** में सबसे अधिक 53 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई।
- ❖ **आबादी का घनत्व:** पश्चिम बंगाल अभी भी सबसे सघन आबादी वाला राज्य है। यहाँ 2001 में आबादी का घनत्व 903 था। **बिहार अब दूसरे** स्थान पर है जबकि आबादी के घनत्व के हिसाब से **केरल** का स्थान **तीसरा** है।
- ❖ **साक्षरता:** ऐसे व्यक्ति को साक्षर नहीं माना गया है जो केवल पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता। वर्ष 1991 से पूर्व हुई जनगणनाओं में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से निरक्षर माना जाता था। देश में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है। केरल में पुरुष और स्त्रियों की अलग-अलग साक्षरता भी सबसे अधिक है।

## अध्याय 2

# राष्ट्रीय प्रतीक

- ❖ **राष्ट्रीय ध्वज:** ध्वज की चौड़ाई - लंबाई का अनुपात 2:3 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप **22 जुलाई, 1947** को अपनाया।
- ❖ 26 जनवरी, 2002 से 'ध्वज संहिता-भारत' का स्थान, **भारतीय ध्वज संहिता, 2002** ने ले लिया है। परंतु राजचिन्ह और नामों के अधिनियम (दुरुपयोग की रोकथाम) 1950 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 तथा इस विषय से संबंधित अन्य कानूनों में दी गई व्यवस्थाओं का पालन करना होगा।
- ❖ **राजचिन्ह:** भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, मूल स्तंभ के शीर्ष पर चार सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं।
- ❖ यह राज चिन्ह को **26 जनवरी, 1950** को अपनाया गया। फलक के नीचे **मुंडकोपनिषद्** का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है।
- ❖ **राष्ट्रगान:** रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में **24 जनवरी, 1950** को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसम्बर, 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गायी जाती है।
- ❖ **राष्ट्रगीत:** बंकिमचंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् की रचना की जो स्वतंत्रता संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था। **1896** में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था।
- ❖ **राष्ट्रीय पंचांग (कैलेंडर):** ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ-साथ देश भर के लिए **शक संवत्** पर आधारित एकरूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। **22 मार्च, 1957** को इन सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग ओर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों

में स्थायी सादृश्य है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतया 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।

- ❖ **राष्ट्रीय पशु:** भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को अपनाया गया है। इसकी आठ प्रजातियों में से भारत में पाये जाने वाले रायल बंगाल टाईगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर-पश्चिम भारत को छोड़कर बाकी सारे देश में यह प्रजाति पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 38 बाघ अभ्यारण स्थापित किए गए हैं।

- ❖ **भारत का राष्ट्रीय पक्षी:** भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर (पावो क्रिस्टेटस) है। भारतीय वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।

- ❖ **राष्ट्रीय पुष्प:** भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल (नेलम्बो न्यूसिफेरा) है।

- ❖ **राष्ट्रीय वृक्ष:** भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल (Ficus religiosa) है।

- ❖ **राष्ट्रीय फूल:** भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब (Rosa chinensis) है।



## अध्याय 3

### राजनीतिक संरचना

- ❖ भारत गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
- ❖ संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है। संविधान में न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रावधान है।
- ❖ मूल अधिकार: संविधान में छह प्रकार की स्वतंत्रताओं की मूल अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई है, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। संविधान के तीसरे भाग, अनुच्छेद 12 से 35 तक, में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मूल अधिकार हैं - ( 1 ) समानता का अधिकार, ( 2 ) विचारों की अभिव्यक्ति, ( 3 ) शोषण से रक्षा का अधिकार, ( 4 ) अंतःकरण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार, ( 5 ) नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यकों द्वारा पसंद की शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार, और ( 6 ) मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए संवैधानिक उपायों का अधिकार।
- ❖ मूल कर्तव्य: सन् 1976 में पारित संविधान में 42वें संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं।
- ❖ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत: संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि वे देश के प्रशासन का मूलभूत आधार हैं और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे।
- ❖ राष्ट्रपति: राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा करते हैं। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा

राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और संघ के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्त्व दिया जाता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 61 के प्रावधान के तहत स्वहस्तालिखित पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकते हैं।

- ❖ **उपराष्ट्रपति:** उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा एक निर्वाचन-मंडल के सदस्य करते हैं। निर्वाचक-मंडल में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 (ख) में निहित कार्यविधि द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।
- ❖ **मंत्रिपरिषद:** मंत्रिपरिषद में चार तरह के मंत्री होते हैं - वे मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं; राज्य मंत्री, जो विभाग का स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालते हैं; राज्य मंत्री तथा उपमंत्री।
- ❖ **विधायिका:** संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा शामिल हैं।
- ❖ **राज्यसभा:** संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। इनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
- ❖ इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं।
- ❖ **लोकसभा:** लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या अब 552 होगी। इनमें 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय लोकसभा के 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से सीधे चुने गए हैं तथा दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो आंग्ल-भारतीय समुदाय का

प्रतिनिधित्व करते हैं। 84वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत विभिन्न राज्यों में लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है तथा 2026 तक इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा।

- ❖ अब तक 15 लोकसभाएं गठित की जा चुकी है।
- ❖ **संसद के कार्य और अधिकार:** संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की संविधान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है।
- ❖ 8 5 5 5 5 5 5 1 जून, 2010 से 30 अप्रैल 2011 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 36 विधेयक पारित किए गए।
- ❖ **संसदीय समितियां:** दोनों सदनों की समितियां संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत अधिनियमित होती हैं।
- ❖ **स्थायी समितियां** - लोकसभा की स्थायी समितियों में तीन वित्तीय समितियों, यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है और ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखती हैं। लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं।
- ❖ इन तीन वित्तीय समितियों के अलावा, लोकसभा की नियमों के बारे में समिति ने विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियां गठित करने की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 8 अप्रैल, 1993 को इन 17 समितियों का गठन किया गया। जुलाई 2004 में नियमों में

# ONLINE COACHING FOR IAS EXAMS



- ✓ 24x7 E-learning Access
- ✓ 100% Syllabus Covered
- ✓ at just 100 Rs.per month
- ✓ Discussion Forum, Chat
- ✓ Telephonic Support



**Register Now**

**FREE TRIAL 7 DAY**

**IAS EXAM PORTAL**  
www.iasexamportal.com

## Online Coaching for IAS PRE GS 2015

### What candidate will get:

#### 1. All the relevant and required materials of subjects mention in the GS syllabus like:

- 100% IAS Exam Syllabus Covered with MCQs.
- History of India and Indian National Movement.
- Indian and World Geography - Physical, Social, Economic Geography of India and the World.
- Indian Polity and Governance - Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues, etc.
- Economic and Social Development -Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives, etc.
- General issues on Environmental Ecology, Bio-diversity and Climate Change - that do not require subject specialisation
- General Science.
- Current Affairs.

#### 2. Home assignment: where Multiple Choice Questions of the learned chapters will be given for self evaluation.

#### 3. Important current affairs materials for civil services preliminary examination will be provided

#### 4. Online Tests will be conducted after the end of each subject.

#### 5. At the end of your course, five comprehensive test will be conducted to evaluate your performance.

**Click Here to Join IAS (Pre.) Online Coaching:**

<http://iasexamportal.com/civilservices/courses/ias-pre/csatsat-paper-1>

## **GS Foundation Course (PT+ MAINS) for IAS Exam**

- ❖ Medium: English
- ❖ You will Get BOOKS, STUDY KITS, MAGAZINES, Mock Test Papers, Monthly Magazine, Gist of Important Newspapers, Free Access to Online Coaching at IASEXAMPORAL
- ❖ Available in Hard Copy

**:: Price ::**  
₹ 36000 (GS PT & Mains)  
₹ 33000 (Without Paper II of PT Exam)  
Instalment Option Available\*

**For Any Guidance Call our Expert at +91 7827687693**

## **G.S. FOUNDATION COURSE (PRELIMINARY+ MAINS)**

### **Dear Aspirants,**

The Indian Civil Services examination is conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) every year.

The competitive examination comprises of three stages :

- Preliminary Examination – (Objective Test)
- Main Examination (Written )
- Interview Test

The examination schedule is announced during January - February.

The Preliminary held in May-June and the results are announced in July-August.

The Main examination held in October-November and the candidates those who qualify at this stage are invited to the interview in March-April next year.

### **We will provide you:**

- BOOKS
- STUDY KITS
- MAGAZINES
- Mock Test Papers
- Monthly Magazine- Civil Services Mentor
- Gist of Important Newspapers
- Free Access to Online Coaching at IASEXAMPORAL
- Previous Year paper's with solution
- Previous Year question's trend analysis
- Free Login Access worth Rs 1999 for IAS PRE 2015
- Free Gist Subscription worth Rs 449
- Free Weekly Subscription worth rs 399
- TELEPHONIC/EMAIL GUIDANCE WITH COURSE CO-ORDINATOR

**For More Information Click Given below link:**

<http://iasexamportal.com/civilservices/study-kit/ias-pre/general-studies-foundation-course>



## GS (Paper - 1) & CSAT (Paper - 2) Comprehensive Manual

For IAS Preliminary Examinations

Medium: English

Pages: 2750

Cost: Rs. ~~2200~~ Rs. 2090/-

Delivery Charges: Free!

Payment Option: Cash on delivery or Online

For any clarification call us @ 011-45151781

Available on Flipkart.com  
&  
All Major Book Stores

### General Studies (Paper - 1) & CSAT (Paper - 2) Comprehensive Manual: IAS Preliminary Examination 2015, (Set of 2 Books)

#### BOOK DETAILS

**Medium:** English

**Price:** Rs. ~~2200~~ Rs. 2090/-

**Publisher:** Kalinjar Publications

**ISBN NO:** 9789351720485

#### TOPICS OF THE BOOK

##### CSAT General Studies Manual (Paper - 1)

1. Indian History
2. Indian Polity
3. Indian Economy
4. Geography
5. General Science
6. Environment
7. General Knowledge
8. MCQ For Practice

##### CSAT Comprehensive Manual (Paper - 2)

1. SOLVED PAPER - 2014
  2. SOLVED PAPER - 2013
  3. SOLVED PAPER - 2012
- COMPREHENSION & ENGLISH LANGUAGE COMPREHENSION
  - INTERPERSONAL & COMMUNICATION SKILLS & DECISION MAKING & PROBLEM SOLVING
  - GENERAL MENTAL ABILITY, LOGICAL REASONING & ANALYTICAL ABILITY
  - BASIC NUMERACY
  - DATA INTERPRETATION & DATA SUFFICIENCY
  - MCQ For Practice

**For Full Information about Books Click below Link:**

<http://iasexamportal.com/civilservices/books/combo-csat-paper-1-2>



- ❖ क नरु न छुडुडु क यल्लुठक 'कधए ए -एठतनदुडुडु नदुडु ढनदुडुडु - नःश छ !ठदल्लु एरु षरु न छ :-धएरु ठरु-ए छठक-ए श्रु नदुडु ए ढ फल्लु न युल्लु न-ए रु।कल्लु ददुडुडु-ए-दुडु दल्लु एरुःश छ !ठ द एधएरु रु ढरु रु
- ❖ ददुडुडु क यल्लुठक :-त न ङदल्लु ए नरु न नः-त छरु रु ढे क !धुयएरु-ए श्रुचन रु नःश छ !ठ 26.01.2011 ददुडु02.02.2011 रु नदुडु ढ न।यनःदुडु ए 9 ददुडुडु ददुडु क न रु 01.06.2010 ददुडु30.04.2011 -एधए नयव! न ददुडु डु दएरु ि एयन ङध ददुडु6 ददुडुडु कःश छ !ठ षरु तनदुडु न ददुडु षुए ददुडु :-ध एरु न ए फल्लु न वरु
- ❖ प्रशासनिक ढांचा: संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार ( कार्य निर्धारण ) नियम, 1961 बनाए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का गठन किया जाता है।
- ❖ मंत्रिमंडल सचिवालय: कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी है। भारत सरकार के (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में कैबिनेट सचिवालय का स्थान नियमों की पहली सूची में है। सचिवालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:- (1) मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहायता और (2) कार्य-नियम।
- ❖ कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में हर महीने एक सारांश बनाकर राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और मंत्रियों को उससे अवगत कराया जाए। देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना तथा ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों

- में समन्वय स्थापित करना भी कैबिनेट सचिवालय का एक काम है।
- ❖ कैबिनेट सचिव, सिविल सर्विसेज का प्रमुख भी होता है इसलिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट सचिवालय एक उपयोगी माध्यम है।
  - ❖ सरकार के मंत्रालय/विभाग: वर्तमान में 53 मंत्रालय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मंत्रालय हैं -
    1. कृषि मंत्रालय
      - (क) कृषि और सहकारिता विभाग
      - (ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
      - (ग) पशुपालन और डेयरी विभाग
    2. वाणिज्य और उद्योग
      - (क) वाणिज्य विभाग
      - (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
    3. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
      - (क) दूरसंचार विभाग
      - (ख) डाक विभाग
      - (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
    4. रक्षा मंत्रालय
      - (क) रक्षा विभाग
      - (ख) रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग
      - (ग) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग
    5. वित्त मंत्रालय
      - (क) आर्थिक कार्य विभाग
      - (ख) व्यय विभाग
      - (ग) राजस्व विभाग
      - (घ) विनिवेश विभाग

- (ड) वित्तीय सेवाएं विभाग
6. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
- (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- (ख) आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग
- (ग) एड्स नियंत्रण विभाग
- (घ) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
7. **गृह मंत्रालय**
- (क) आंतरिक सुरक्षा विभाग
- (ख) राज्य विभाग
- (ग) राजभाषा विभाग
- (घ) गृह विभाग
- (ड) जम्मू और कश्मीर विभाग
- (च) छद्म दस्तावेज
8. **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय**
- (क) युवा कार्यक्रम
- (ख) खेल विभाग
9. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**
- (क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- (ख) उच्चतर शिक्षा विभाग
- (ग) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
- (घ) महिला और बाल विकास विभाग
10. **कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**
- (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- (ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- (ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
11. **ग्रामीण विकास मंत्रालय**

- (क) ग्रामीण विकास विभाग
- (ख) भूमि संसाधन विभाग
- (ग) पेय जलापूर्ति विभाग
12. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
- (क) विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग
- (ख) विज्ञान और औद्योगिक विकास विभाग
- (ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग
13. **पर्यावरण और वन मंत्रालय**
14. **विधि और न्याय मंत्रालय**
- (क) विधि कार्य विभाग
- (ख) विधायी विभाग
- (ग) न्याय विभाग
15. **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय**
- (क) युवा कार्यक्रम
- (ख) खेल विभाग

**राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता (कन्वेंशन)**

- ❖ एक दस्तावेज प्रकृतियों: न : यज 'ए न कद' किद्धम न।ड न5 झ1997 मः छद्म-ठय -एदक-नसः यन।यन रु छद्म।ड न नदज्य्य षद्वयः न : यज 'ए न मः शरु ए.यू-म ए दन ष न रु छ 'ए न नठयः दन नद्वय धरुस षद्वयः न : यरुमः- दनदृदध, ; य'-य न रुरुद, दनफु ज ? षन दन षए ठ। न रुद्वेषनधरु म द नःपद षः म रुक त न ष छसक दन एरु -न।डरु षन प रुद्वयः न : यजदक श्रद्धाड नक दद्वैयि म -एद नदज्ञ-नद्वै-नद्व 'कम रुदःठन- : छ द्म-ठय-एदज्ञ दः नः यरुन म छसक दन ष, षद्वयः न : यज 'ए न।डरु : यन।यन रु



- ❖ एक छसकददरुथ षन २०१६ -द ष२०१० त्रैयःएःएःएःएःएः स षन ISO 9001: 2008 ददरुथःदरुथःःधयन ।य रू ददरुथःएःएःएःएः १४८ षे कदःएःएःएःएः षरू षद ठःएःएःएःएः ददरुथः षन ष ।यन रू

### कार्य प्रबंधन-परिणाम ढांचा दस्तावेज ( आरएफडी )

- ❖ संसद के दोनों सदनों में 4 जून, 2009 को राष्ट्रपति के संबोधन में की गई घोषणा के अनुरूप, प्रधानमंत्री से 11 सितंबर, 2009 को सरकारी विभागों के लिए कार्य निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (परफॉर्मेंस मॉनीटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम पीएमईएस) की रूपरेखा स्वीकृत की। कैबिनेट सचिवालय का कार्य प्रबंधन विभाग परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) के नाम से जानी जाने वाली प्रणाली के जरिए इस गतिविधि के लिए उत्तरदायी है।
- ❖ प्रथम चरण में शामिल सभी 59 मंत्रालयों/विभागों ने 2009-10 की अंतिम तिमाही के लिए अपने आरएफडी को अंतिम रूप दे दिया और इस अवधि की अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लिया है। इस पहल के क्रियान्वयन के चरण में, 62 विभागों तथा मंत्रालयों ने दस्तावेज परिणाम ढांचा 2010-11 के लिए तैयार कर लिया है जिनकी तदर्थ कार्य बल ने समीक्षा कर ली है और सरकारी निष्पादन पर उत्तराधिकार समिति ने स्वीकृति दे दी है।
- ❖ सरकार में निष्पादन प्रबंधन पर क्षमता निर्माण दिशा में, आईआईएम हैदराबाद तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी के सहयोग से देशभर में 24 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। प्रशिक्षण सामग्री और नियमावली भी तैयार कर बांटी गई है।

### (i) द्वितीय एआरसी-सिफारिशों का क्रियान्वयन

‘भारत सरकार का संगठनिक ढांचा’ पर प्रशासनिक सुधार आयोग-II (एआरसी) ने अपनी रिपोर्ट के

साथ सिफारिश की कि सरकार को ‘केंद्रीय कार्यों पर प्रमुख फोकस करना चाहिए और यह सभी स्तरों पर गौणता के सिद्धांत से दिशा निर्देशित होनी चाहिए।

### (ii) निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन ( पीआरआई )

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों के निष्पादन सुधार में प्रोत्साहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योजना वैयक्तिक कर्मचारी स्तर तथा टीम/समूह स्तर पर लागू होती है। योजना के दो भाग हैं—एक भाग व्यक्ति के निष्पादन को मापता है, दूसरा भाग निष्पादन को वित्तीय प्रोत्साहनों से जोड़ता है।

### (iii) अन्य देशों की सहायता

सार्क के अनुरोध पर, कैबिनेट सचिवालय (भारत) ने पीएमईएस/आरएफडी पर एक सार्क कार्यशाला का आयोजन किया।

### (iv) ‘परफोर्मेंस मैटर्स’ न्यूज लैटर

सरकार में निष्पादन प्रबंधन संबंधी मामलों पर नियमित बातचीत को गति प्रदान करने की दिशा में और इस क्षेत्र में ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए पीएमडी और कैबिनेट सचिवालय अप्रैल 2009 से ‘परफोर्मेंस मैटर्स’ नाम से एक त्रैमासिक न्यूजलैटर प्रकाशित कर रहा है। हाल ही में, अप्रैल 2009 से अब तक के सभी अंकों वाला एक संग्रह निकाला गया है।

### लोक शिकायतें

- ❖ :- ढ रू षरू ददरुथ ष-एःएःएःएःएः ।रू षन ष-इःददरुथःएःएःएःएःःःतःतः तः नददरुथः ष अवःःःः :- ददरुथः षन रूदःःःःएः ष ष षकःएःएःएःएःएः ददरुथः षनददरुथः दः षःः षन रूकः ष ष षःएः रू ।ः षन एः ददरुथः षनः ष ष रू षरू ददरुथः ष-एःएःएःएःएः षन ददरुथः ष ष रू षःएः षरू ष ष-एःएःएःएःएःएः

वर्ष:- :द्वि: यन।यन न फ ल्पुन न उठयए- ।ए  
रुठ न: यनप रुन रु

ज:द्व।दक-पू भु नत नद्व लरुतत ड न म् :रु  
हळ:धयन।यन रु

- ❖ झधठिन-ए।क. म न म् 2008 म्पुन ए  
दज्ञःफळद्वरुठम रु: यन।यरु 2010 म्पुन ए  
द्वज्ञथन ज् एनमरु रुठकम-ए य जल्लरु-एनक  
ए न:- न म् नIS 15700:2005-एरु रुल्लरु ए  
दज्ञःफळद्वरु न: यरु

प्रलेखन तथा प्रसार

- ❖ :- न म्पुन म् नत नद्व लरुतत ड न म् :रु  
। : यनधळु रु-इ. झठ म् नधए, ठएण  
ध।द्वनहवठल्लठचल्ल ए छु .न:ठल्ल 'न च  
ल्ल-झ चठ छु जडठकव छल्ल
- ❖ :- नधम य: रुठदज्ञ श न न प्ठन।त नख :द्व  
ठ:ख नन ए छु न।- झल्लरु नधल्लरु :द्व न'य  
ठछल नद्व-ठल्ल-ल्लरु 'यन क

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका ( इबसा ) फोरम

- ❖ एरु-एदज्ञ उठ, झ ठ-एठ ल्लरु रु नध:थ  
ू न-एठ ल्लरु 13 :द्वरु एन 2006 म्पुन झ:ठय  
कज्ञ ठम म् यएरुदज्ञ न एरु झ ठध:थ  
ल्ल धव एन:शम ज ड न म् ठल्लरु रुनरु न दद्व  
ठ न-ए श्रजठक ड फ ड म् ल्लरु-ए ल्लरु ए  
धम म्-ए भ ठ एठ दज्ञ द्व न ज श द्व न-ए थल्ल ए  
:खड यल्ल यफ ध फल्ल न म्पुन धएण न गी  
ल्लरु एरु झ ठरु नध:थ ू नत नत एनठ  
रुथज ए म्-ए:ठतल्ल रु वरु

सूचना का अधिकार

- ❖ ।: म्पुन इरु। एठध:श झन म्पुन धएण  
जल्लरु छ न यल्लरुठन म्- धए म्पुन झम  
ए म् ज- रु:- न म्पुन ए म्-ए:ठतत एरुठ-ए  
यल्ल ए म्-ए-म जल्लरु म् न :श ज :श: य  
2005. यन।यन रु
- ❖ :श: य न-ए रु।ल्लरु नदज्ञरु ए न: निका ल्ल  
रुप म् नल्लरु छ-ए: ल्लरु यल्लरु ल्लरु एल्लरु  
म रुन नधल्लरु यल्लरु-ए नल्लरु न :श एन म्  
कक ए नद.रुन रु कक म्-एठल्लरु न ए  
:ल्लरु दल्लरुल्लरु न 'न।ल्लरुधश झन एन रु  
कक. नस एनयनम:इरु।रुहळल्लरु यनप नद्व रु  
रुयन कक: धनयन 'ल्लरुयन:वजधल्लरु थल्ल  
ए क न म्: यनप नद्व रुन रु ज कक-ए  
ए:एन एनप नद्व रुन रुय:ध -ए न 30 :ध म्पुन  
रुल्लरु न नदज्ञरु एनयन- नदज्ञरुध/जल्लरुल्लरु  
न एनरु म्- न 30 :ध म्-ए रुठ दज्ञथ एनस  
: यल्लरु डठनदज्ञथ एनल्लरु डठन जल्लरु रुन न-  
ए नल्लरु न :श एनल्लरु:ठक :श एन एन रु
- ❖ डठन दज्ञरु ए म्-ए 30 :ध म्-ए रुठ डठन  
: डल्लरुएन एन रुय:ध डठनदज्ञथ एन-ए. न ए  
न -ए नल्लरुल्लरु न एनरु न 90 :ध म्-ए रुठ-

भारत-मलेशिया सहयोग

- ❖ : झठ एन:श यरु जल्लरु न उठकस एनदज्ञरु  
:द्व-ठल्लरु न : झठदज्ञथ नरु नठ एनदज्ञ द्व न-ए थल्ल  
म् एरु ल्लरु छ जठ एनल्लरु:- नस एनदज्ञरु,  
ठल्लरुयन ल्लरु छ-ए भ ल्लरु यफ डल्लरु नद्व लरु  
त ड नद्व 4 इ2001 म्पुन रुथज वरु

भारत-चीन सहयोग

- ❖ :द्व-ठल्लरु न : झठदज्ञथ नरु नठ एनदज्ञ द्व न-ए  
थल्ल म् न ल्लरुल्लरु-ए नद्व लरुतत ड नद्व एरु  
ल्लरु छ जडठल्लरु:ल्लरुठ न कभ नक ल्लरुम  
-ए नद्वद्वथन जल्लरु :ए नद्वल्लरु न उठक-ए म्  
27 इ2010 म्पुन रुथज वरु

भारत-सिंगापुर सहयोग

- ❖ : झठदज्ञथ नरु नठ एनदज्ञ द्व न-ए थल्ल म् न एरु

- ऐच्छकत्वं न यफु - नये कत्वं न यफु-एद ल्  
द्वन्द्वं ठठ क्त्वं रुं रुं

**केंद्रीय हिंदी समिति**

- ❖ ल् ए ठ - न : ऽ षु ङ ङ ष न ष ष  
कं ल् ए श्रथनप न:- ङ-एल्-न एल् ङ ल्  
ठठयतं-एल्-एल्-एल्-एल्-न कं न ष प ल् : रु-ए  
दधल्ल क ए म् ल् : रु ल् ष न ष न् ए न-ए  
दधयफु न ल् द न ष न् न शः प्यतं तः द न  
द ल् द न ए ए ए न:- ङ ष न ल् य फ् न क द न प ष  
: द ल् तं न ठ ठ न ष ष न् न न: द ल् तं ए य श न य  
तं तं न : द ए : ड यतं तं द ष ष न-ए: ठ त  
द न् ल् ल -न द ल् न रु

**पुरस्कार योजनाएं**

- ❖ ष ङ ष न न ष ष ष न य ष ष : न ष न: क-ए  
रु रु-एल्-एल् षु ' षु :-/ क ल् षु :-श:-र ठयतं  
द ल् द न ल् ल तं न-एल्-एल् ष न न - य श ल्  
ल्ल तं तं य ष क द ल् ल : -रु शः प्यतं ष न: द न ए  
ठ म् न । ल् ल क तं-ए: ठ त न द ष ष न: द न ए ल्

**अंतर्राष्ट्रीय परिषद ( आईएससी )**

- ❖ - एल्-एल् क ल् ल श्रतं द ल् ल : प्यतं यफु स ष न द न । श  
: ल् ल : षु तं न ल् ल न षु ल् क 28 जू 1990 ए  
ष ल् ल रू -ए द ल् ल -ए श्रतं ल् ल 1990 रुच्छय य  
दः ष ष न । ड न: य न । य रु
- ❖ क द ल् ल ल न ल् ल दः ष ष श्रथन एल् क ल् ल  
ष यतं ष -एल्-एल् : ल् ल द ल् ल तं तं :-श्र ल् ल न ष-ए  
भय ढे न-एल्-एल् : ल् ल द ल् ल तं तं :-श्र तं ल् ल न न ए  
-एल्-एल् ल् ल ष ल् ल रू श ल् ल न- ठाणे यतं एणे यद ठ-ए  
पी न-: ए ल् ल रू-ए ढे न: प ' तं दः ष ष श्रथन ए  
: रु: य न ष ल् ल दः ष ष -ए ल् ल क एल् क  
श्रथन स ष : रु:- ए ल् ल रू-एल्-एल् ढे न: दः ष  
-ए य न : रु: न एल् क रू

- ❖ रुच्छय क दः ष ष ल् ल-श्र तं क तं . न -ए व ल् ल  
क द ए ल् ल -एल्-एल् न 2005 तं न व ष । रु ल् ल ल रु  
: य रु य तं ल् ल ल रु न ल् ल - ष -ए द ल् ल - तं ल् ल ' रु तं  
ल्ल - तं ल् ल ल्ल ष तं ल् ल ल् ल : रु ल् ल क द ल् ल ल् ल  
ल्ल ष ष ष ठ ए रू क तं तं ल् ल व ष न-ए: ठ त न ल् ल व ष  
-एल्-एल् न तं न रु ल् ल ल् ल । द ल् ल रु

**प्रशासनिक ट्रिब्यूनल**

- ❖ द ल् ल ल् ल : ल् ल ष ठ-ए ठ द तं :श्र ष ष ल् ल ष  
य ल् ल :-श्र तं तं-ए तं श्रः प्यतं-ए ल् ल ल् ल ल्ल श्र  
ठ तं रु न ल् ल : रु ल् ल रु ल् ल न य ल् ल श्रः रु  
ल्ल ष ठ न ल् ल न द ल् ल ल् ल ल् ल ल् ल । य न ए न ल् ल रु  
: न द ल् ल : रु ल् ल इ रू ल् ल ल् ल -ए द दः रु ए ष  
द तं तं न ल् ल-न ष ल् ल रुं रु

**राज्यपाल**

- ❖ ल् ल द ल् ल ष न ष न द ल् ल ल-ए तं तं ल् ल-श्र न-ए  
ष ष 371 तं ष-ए श्रतं न ष न-रु रु न द ल् ल ल् ल  
ल्ल : श्रतं य तं तं द ल् ल तं तं यद ठ न:-शः फु दः यु-  
रू

**निर्वाचन आयोग**

- ❖ षे क रु ष द ल् ल : - श्रतं यफु -ए ल् ल ल् ल श्रथन,  
: द ल् ल न ष : य द ल् ल ल् ल षे क-ए:- श्रतं य ल् ल,  
भयक:- श्रतं :श्र ष न स ष न द ल् ल ल् ल न प रुं,  
ः ल् ल न: य क रू ल् ल : श्रतं षे क ल् ल ल् ल ष न द ल् ल :-रु  
:- ष क ल् ल -ठ ल् ल तं तं ल् ल यफु स ष न न प रुं रु
- ❖ : ष ठ न ष :- श्रतं द ल् ल ल् ल ष तं ष ष ठ न :- श्र  
:श्र ष ष न: - श्र न ष: ष ल् ल ष न: श्र ष न ष: ल् ल ल् ल  
: व ल् ल ल् ल : न ल् ल य रुं : क श्रः प्यतं न तं  
:-श्र ठ ल् ल य न ष न न: - श्रतं य ल् ल ल् ल रू
- ❖ द तं य ल् ल-ए: द द न तं- श्रतं यफु य ल् ल ष  
रु श्र ल् ल ल् ल ल् ल रू

[Click Here to Buy Current Affairs for IAS, State PCS, SSC, Bank & All Other Exams](http://iasexamportal.com/civilservices/order-form/current-affairs-books)  
<http://iasexamportal.com/civilservices/order-form/current-affairs-books>



दक्षय एरुन-ए ठ-न :मठ षरुक श्रफ ढ  
द्वश्रन रुझरुय न षत्रन पन-ए:ठतन16.66 दक्षशरु,  
पन-ए:ठतन7.5 दक्षशरु रु न :द-न-ए:ठतन25.84  
दक्षशरु ददठै श्र रु

❖ द-झ झ षरु नश ष:ठ नहळुए थ नपा:इरुयन-ए  
:ठतन षत्रनद्व रुठअ षत्रनरु न प न पनरु  
:द-न-ए षत्रनरु'नहळुअ षत्रन ठरुन रुनु'  
हळुअ षत्रन-ए व. ठनुनद्व रुठअ षत्रनरु न: द  
दज्ञ फ द्व यएरु: यन प त। न द्व नपा म्यन षरुए  
:धश: धक्ष पक्ष रु

❖ : द्वरुके कयनद्वैतश :द्वरुके-एद्वै श्र न प  
रु न पन एन द्व नद:ठ नद्वै-श्र न नशरुन341  
रु न242 षरुन रुद्वै नु नु षत्रन-एद्वैरुए द्व  
नद-झ झ षरु नद:ठ नन इद्वैरुए-द्वै एअरु फ'ठ व ए  
न:द्वै-ठद्वै-द्वैरुए'नद एअरु हद्वैरु 1979 नुन। झ  
श ष:ठ नहळुए थ नपा:इरुयन न षत्रनशरुदद्वैरुए  
:-द:। द्वैरु:ठठपनकइ-ठ द गझा ठप नद्वैरुए न व  
ष छद्वैरु'नदकठ द:द्वैरुए म त इद्वैरु 1995 द्वैरु न। झ

कर्मचारी चयन आयोग

❖ यफ न म्यठक फद्वैरुए/षनथरु न यझय  
झधठिन नु रुद्वैरुएक यझकु शल ठ . ध,  
के झ ए रु न। व छ न भए झ ष'। ठ न नु रु  
द्वैरुएदद्वैरुएक यझक षयदक षभ'। क नु रु

प्रशासनिक सुधार

❖ ष :नठ ठ प नुए:ठतन -क नद्वैरुएद्वैरु :दक्ष  
ष नुए:ठतन21 दक्ष नुद्वैरु-ठद्वैरुन:ध-द्वैरु न एरु  
: यन। यन न ष2006 द्वैरुएद्वैरुए- झ द्वैरु यन प  
ष न रु 21 दक्षन 2011 नुी डन:द्वैरु-ठद्वैरुन:ध-द्वैरु  
यएरु: यन। यरु द्वैरु -द्वैरुदद्वैरुए हेन नुए ए  
दक्ष द्वैरु नु2009-10-ए:ठतनरु न-। एअरु:इरु-नद्वैरु  
रु नद्वैरु। ड न नुए छरुनदक्ष ष:धरु

❖ न ष कशरुन न: ठ फद्वैरुए नदक्ष ठन ए  
ठद्वैरुए षठ नुए:ठतन:- रुके ठ:दक्षरुय ष ष नुए  
:ठतन न- षठन एठन न श्रधरुन नु31। रु,  
2005 नु:सरुक दक्ष द्वैरु नद्वैरुए यफ क षद्वैरुम  
न। ड न त न प भन यफ-एद्वैरुए नु: यन। यरु  
यफद्वैरुए ष-एद्वैरु न रुद्वैरुएधरुन-ए:ठतन: यश ठ,  
ध/धधय नु:पद षरुन: षरु नधधनदक्ष द्वैरुदक्षरु ष ए  
-ए:ठतन ददक द्वैरुए नु षरुन: यन। यन रु  
यफ नुद्वैरुए ष नु-भ ष झ। 5:द्वैरुएदक्षरुएक न रु

❖ द्वैरुए ष नु:सरुक त द्वैरुए न:द्वैरुए:ध नुदक्ष :-भ ष  
ष नुए-ए:ठतन 30 भझ 2007 नु:-धए हेन  
श्रधरुन नु:खयन नु त नद्वैरु नक ए म। डरु  
: यरु 2। न वष-षन 201। न प त न नु म ष  
। ड न वन रु

❖ ष ष ड नु नु ष ष ष ष 15 श न: ष नश  
ष ष :ठ न ष ष (1) द्वैरुए न न: श्र षरु नुी ष  
श द्वैरुए-ए:ठतन छरु भ. नदक्षरु न:द्वैरुएक (2) -  
द्वैरुए नधधय एन धरुन षश द्वैरु। षनद्वैरुए'श्ररु  
त न श्रय नकसरुक:द्वैरुएक (3) दधनद्वैरुए ल: षश  
द्वैरुए शरुन नकरुक:द्वैरुएक (4) श द्वैरुए नु:रु रु  
क न:द्वैरुएक (5) कश द्वैरुए नुी डन:द्वैरुएक (6)  
:-षरुए द्वैरुए-ए:ठतनधरुन: झ कद्वैरु-न:द्वैरुएक  
(7)। ष न-एद्वैरुए दक्ष द्वैरुए श द्वैरुए नधधय क। 2-'  
:द्वैरुएक (8) द्वैरुए:ठतनद्वैरुए नुद्वैरुएक क  
:द्वैरुएक (9) षरुएद्वैरुए ष नुद्वैरुए:ठतन वधधनकए-'  
:द्वैरुएक (10) झश द्वैरुए नु वपा रुएन रुन नुए  
कम ष-न:द्वैरुएक रु न (11) के क रु न:ठतन दक्ष द्वैरुए  
कद्वैरुए न:द्वैरुएक न:द्वैरुएक षरुए-ए:ठतन: दक्ष  
नु य'-यन न:-: 'न - नु नु रू न रु' - धद्वैरुए  
ठ. पक्षक ड-न:द्वैरुएक। क हेठक षरुन ठ न प  
ष न रु द्वैरुएद्वैरुए नु रु नुद्वैरुए 13:द्वैरुएक- रु  
प न भकन रु. न रुन:द्वैरुएक नुएक नुए नु

Click Here to Buy Current Affairs for IAS, State PCS, SSC, Bank & All Other Exams  
http://iasexamportal.com/civilservices/order-form/current-affairs-books

- :रु-ए:ठतःरु 50 5 रु
- ❖ दृढयःरु 1251 :रुब :रु ए  
रुब 1005 :रुब :रु ए - रु 50 5 । रु 180  
- :रु 5 5 । रु 22 :रु रु 21 'कब ए  
-रु 50 5 । रु 433 :रुब :रु ए रु 5 ए  
। रु 50 5 572 :रुब :रु ए रु 5-य 5-ए रु 50 5  
23 :रुब :रु ए रु 50 5 50 5  
रु
- ❖ राजभाषा - संवैधानिक/वैधानिक प्रावधानः  
हिंदी, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार,  
संघ की राजभाषा है।
- ❖ नीति: संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की  
निगरानी के लिए आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय  
स्थापित किए गए हैं।
- ❖ समिति: राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में  
किया गया। इसका गठन सरकारी कामकाज में हिंदी  
के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने और उसकी  
रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने के लिए किया गया था। इसमें  
लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं।
- ❖ केंद्रीय हिंदी समिति का गठन सन् 1967 में किया  
गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह नीति  
निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, जो राजभाषा के इस्तेमाल  
को बढ़ावा देने के बारे में दिशा निर्देश तय करती है।
- ❖ पुरस्कार योजनाएं: इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार  
योजना 1986-87 से शुरू की गई है।
- ❖ आधुनिक ज्ञान के सभी विषयों के बारे में हिंदी में  
पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000-2001  
से राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई। यह योजना  
सभी नागरिकों के लिए है।
- ❖ प्रशिक्षण: हिंदी भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए 163  
पूर्णकालिक और 47 अंशकालिक केंद्र हैं।
- ❖ 31 अगस्त, 1985 को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान  
की स्थापना की गई। मार्च 1971 में केंद्रीय अनुवाद  
ब्यूरो की स्थापना की गई थी।
- ❖ तकनीकी: कंप्यूटर पर राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन  
देने के लिए अक्टूबर, 1983 में राजभाषा विभाग में  
एक तकनीकी कक्ष की स्थापना की थी।
- ❖ प्रकाशन: राजभाषा विभाग ने "राजभाषा भारती"  
त्रैमासिक पत्रिका निकाली है।
- ❖ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक: नियंत्रक तथा  
महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।  
राष्ट्रपति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह  
पर संघ और राज्य का लेखा-जोखा रखने के लिए  
प्रपत्र निर्धारित करते हैं।
- ❖ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल: प्रशासनिक ट्रिब्यूनल  
अधिनियम, 1985 का पारित होना पीड़ित सरकारी  
कर्मचारियों को न्याय दिलाने की दिशा में एक नया  
अध्याय था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स अधिनियम का  
स्रोत, संविधान का अनुच्छेद 323 क है। मार्च,  
1997 के निर्णय के परिणामस्वरूप प्रशासनिक ट्रिब्यूनल  
के फैसले के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की  
खंडपीठ में अपील की जाएगी।
- ❖ अधिनियम में केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (सेंट्रल  
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल - सी.ए.टी.) - केंद्रीय  
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पहली नवंबर, 1985 को स्थापित  
किया गया। आज इसकी 17 नियमित पीठ हैं, जिनमें  
से 15 उच्च न्यायालयों के मुख्य स्थान पर हैं और शेष  
दो जयपुर और लखनऊ में हैं।
- ❖ कार्यपालिका राज्यपाल: नागालैंड के मामले में  
संविधान के अनुच्छेद 371 'ए' के अंतर्गत राज्यपाल  
को कानून-व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी सौंपी  
गई है।

- ❖ अरूणाचल प्रदेश के मामले में संविधान के अनुच्छेद 371 'एच' के अधीन कानून-व्यवस्था तथा उससे संबंधित कार्यों को निपटाने में राज्यपाल का विशेष दायित्व है।
- ❖ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों पर लागू होने वाली छठी अनुसूची के पैरा 20 में किए गए उल्लेख के अनुसार, जिला परिषद् और राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी के बंटवारे से संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने के अधिकार दिए गए हैं।
- ❖ सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- ❖ विधानमंडल: बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दो सदन हैं, जिन्हें विधानपरिषद् आर विधानसभा कहते हैं।
- ❖ विधानपरिषद्: प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी और अधिक से अधिक 100 होगी जम्मू-कश्मीर विधान परिषद् में 36 सदस्य हैं।
- ❖ विधान सभा: किसी राज्य की विधानसभा में अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य होते हैं (संविधान के अनुच्छेद 371 'एफ' के अनुसार, सिक्किम विधानसभा में 32 सदस्य हैं।)
- ❖ अधिकार और कार्य: राज्य विधानमंडलों को संविधान की सातवीं अनुसूची -II में वर्णित विषयों पर पूर्ण अधिकार तथा उनकी सूची-III में दिए गए विषयों पर केंद्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं।
- ❖ केंद्रशासित प्रदेश: केंद्रशासित प्रदेशों का शासन

राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। अंडमान-निकोबार, दिल्ली और पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। दादर और नगर हवेली का प्रशासक दमण और दीव का कार्य भी देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है।

#### स्थानीय प्रशासन

- ❖ नगरपालिकाएं: सर्वप्रथम पूर्व-प्रेसीडेंसी शहर मद्रास में नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई। उसके बाद 1726 में इसी तरह के नगर निगम मुंबई और कोलकाता में स्थापित किए गए।
- ❖ स्थानीय शहरी निकायों के लिए संसद ने 1992 में नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 पारित किया। संविधान में नगरपालिकाओं के संबंध में एक नया खंड IX-क जोड़ दिया गया है।
- ❖ पंचायतें: संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है। कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा।
- ❖ संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया खंड जोड़ा गया है।
- ❖ निर्वाचन आयोग: भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1950 में हुई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया तथा यह व्यवस्था की गई कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे और दोनों को एक समान वेतन, भत्ते और वे सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलती हैं।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत विशेष

प्रावधानों के जरिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता तथा कार्यपालिका के हस्तक्षेप से उसकी रक्षा की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उन्हीं परिस्थितियों में हटाया जा सकता है जिनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

- ❖ **संशोधन:** संसद द्वारा 22 मार्च 2003 को चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम 2003 और चुनाव आचार संहिता (संशोधन) कानून, 2003 पारित किये, जो कि 22 सितंबर, 2003 प्रभाव में आए। इन कानूनों के जरिए अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों और उनके संबंधियों को **प्रॉक्सी मतदान** की सुविधा मिल गई।
- ❖ चुनाव तथा उससे संबंधित अन्य कानून (संशोधित) विधेयक, 2003 (46वां संशोधन) संसद द्वारा 11 सितंबर, 2003 को पारित किया गया। इस संशोधन के जरिए मुख्य कानून में दो नई धाराएं **29बी और 29सी** को शामिल की गई जिसमें प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वारा किसी राजनीतिक

दल को **20,000** रुपये से अधिक चंदा दिए जाने की सूचना निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।

- ❖ संसद ने 1 जनवरी, 2004 को निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन विधेयक (संशोधित) 2003 पारित किया, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
- ❖ संसद द्वारा 28 अगस्त, 2003 को जनप्रतिनिधि (संशोधन) कानून, 2003 पारित किया गया जिसमें राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव के लिए **खुली मतदान** की प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया है।
- ❖ **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल:** संसद द्वारा 1989 में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने संबंधी संशोधित विधेयक पारित किया गया। आम चुनाव 2004 में पहली बार पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया।
- ❖ **राजनीतिक दल:** चुनावों के लिए **छह** राष्ट्रीय पार्टियां, **45** राज्य स्तर की पार्टियां, और **702** पंजीकृत पार्टियां चुनाव मैदान में थीं।



# 'THE GIST' MAGAZINE

ANNUAL SUBSCRIPTION



Gist of THE HINDU  
Gist of Yojana Magazine  
Gist of Science Reporter  
Gist of Kurukshetra Magazine  
Gist of PIB



THE HINDU

YOJANA

Kurukshetra

Press Information Bureau



for Help Call: 011-45151781, 65023618

UPSC PORTAL  
www.upscportal.com

## THE GIST DETAILS:

- Ø Medium: English
- Ø Price: Rs. 600 Rs. 449
- Ø No. of Booklets: 12 (1 Year)
- Ø Publisher: IASEXAMPORAL.COM
- Ø File Type: PDF File Only (No Hard Copy)

## TOPICS OF THE GIST

- Ø Gist of The Hindu
- Ø Gist of Yojana
- Ø Gist of Kurukshetra
- Ø Gist of Press Information Bureau
- Ø Gist of Science Reporter

**For Full Information Click Here:**

<http://iasexamportal.com/civilservices/order-form/the-gist-subscription>

# Weekly Current Affairs Update for IAS Exam

- ❖ You will be provided current affairs on various important topics on a weekly basis
- ❖ Important national and international news from various sources at a single platform for your convenience
- ❖ Various Categories (National, International, Economy, etc..)

**Inaugural Offer**  
₹ 1040 ₹ 299

**For Any Query Call our Moderator at: 011 - 45151781**

## WHY IS IT A WIN-WIN SITUATION FOR THE STUDENTS?

- You will be provided current affairs on various important topics on a weekly basis.
- Important national and international news from various sources at a single platform for your convenience.
- Each and every topic will be given point wise , making it easier to grasp.
- Very handy when it comes to various competitive exams.....

## VARIOUS CATEGORIES:

- **Planning Commission**
- **Ministry of External Affairs**
- **National Portal of India**
- **National**
- **International**
- **Economy**
- **India And The World**
- **Sports**
- **In The News**
- **Science and Technology**
- **Burning Issues (Editorials From Different Newspapers)**

## WHAT YOU WILL GET:

- You will get (52 Issues) PDF Only no Hard Copy

**For Full Information Click Here:**

<http://iasexamportal.com/civilservices/current-affairs/weekly-update>



**Current Affairs**  
For Civil Services, PCS & All Other Examinations

Medium: English  
Pages: 437  
Cost: **Rs. 350, Rs. 280**  
Payment Option: Online

Available on Flipkart.com  
&  
All Major Book Stores

For any clarification call us @ 011-45151781

## Current Affairs for IAS, Civil Services, SSC, IBPS & All Other Examinations

### BOOK DETAILS

Medium: English

Price: **Rs. 350, Rs. 280**

Pages: 437

Publisher: Kalinjar Publications

ISBN: 9789351720454

### TOPICS OF THE BOOK

- National Issues
- International Issues
- India & the World
- Economy
- Science and Technology
- Sports
- Awards & Prizes
- In the News
- MCQ's

**Click Here to Buy Current Affair in Hard Copy:**

- **Buy Form Flipkart:**

<http://www.flipkart.com/current-affairs-civil-services-examination-english-1st/p/itmftb7j9z7hkwu?affid=kalinjargm>

- **Buy Form Amazon:**

[http://www.amazon.in/Current-Affairs-Civil-Services-Examinations/dp/9351720454/ref=as\\_sl\\_pc\\_tf\\_til?tag=upscportal-21&linkCode=as1&creativeASIN=9351720454](http://www.amazon.in/Current-Affairs-Civil-Services-Examinations/dp/9351720454/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=upscportal-21&linkCode=as1&creativeASIN=9351720454)

- **Buy Form Paytm:**

[https://paytm.com/shop/p/current-affairs-for-civil-services-examinations-9789351720454\\_20563](https://paytm.com/shop/p/current-affairs-for-civil-services-examinations-9789351720454_20563)